

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.) National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत संस्था) (An Autonomous Society under Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India)

		DET	TAILS OF	FAMILY (TA/LTC)					
Name of the employee									
Designation ::		:	:						
Date of birth		·							
Date of appointment		······							
	of the members of my	/ fami	ly in terms o	of Rule 4 (d) of CCS	(LTC) Rules 198	8, as			
S.No.	S.No. Name of the members of the family		Date of birth	Relationship with the Officer	Initials of the Head of Office	Remarks			
Office a	I hereby undertake to any addition (s) or alte	keep t	the above pa	articulars up-to-date b	y notifying to the	e Head of			
Dated	rancer pa	Signature of the Employee							
				-		Cef 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10			
As per	Rule 4 (d) of CCS (L7	TC) R	ules 1988, F	Family for this purpos	se means:-				

1. The employee's wife or husband, as the case may be, and two surviving unmarried children or step children wholly dependent on the employee, irrespective of whether they are residing with the employee or not;



राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (रा.इ.सू.प्रौ.सं.) National Institute of Electronics and Information Technology (NIELIT)

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था) (An Autonomous Society under Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India)

परिवार का विवरण (यात्रा भत्ता / छुट्टी यात्रा रियायत)									
1.) कर्मचारी का नाम									
2) पदनाम		:							
3.) जन्मतिथि									
4.) नियुक्ति की तिथि		: Electric problems and the state of the sta							
के0 ना0 से0 (छु0 या0 रि0) नियम 1988 के 4 (घ) नियम के शर्तों के अनुसार मेरे परिवार के सदस्यों का विवरण, अद्यतन तिथिः									
क्र.सं.	परिवार के सदस्यों के नाम	जन्म तिथि	कर्मचारी के साथ संबंध	कार्यालय के प्रमुख के प्राक्षर	टिप्पणियाँ				
मैं एतद्द्वारा वचन देता / देती हूँ कि उक्त विवरणों को किसी भी तरह के परिवर्धन या परिवर्तन के संबंध में कार्यालयाध्यक्ष को अधिसूचित करते हुए अद्यतन रखूँगा / रखूँगी।									
स्थान	÷								
दिनांव	চ :								
कर्मचारी के हस्ताक्षर									

कें0 ना0 सें0 (छु0 या0 रि0) नियम 1988 के नियम 4 (घ) के अनुसार, परिवार के संबंध में :--

(क) कर्मचारी की पत्नी / के पति की स्थिति में, और दो उत्तरजीवी अविवाहित संताने या सौतेली संतान पूर्ण रूप से कर्मचारी पर निर्भर हैं, चाहे वे कर्मचारी के साथ रहते हैं या नहीं।



- 2. Married daughters who have been divorced, abandoned or separated from their husbands and are residing with the employee and are wholly dependent on the employee;
- 3. Parents and/or step mother residing with and wholly dependent on the employee;
- 4. Unmarried minor brothers as well as unmarried, divorced, abandoned, separated from their husbands or widowed sisters residing with and wholly dependent on the employee, provided their children are either not alive or are themselves wholly dependent on the employee.

EXPLANATIONS:-

- 1. The restriction of the concession to only two surviving children or step children shall not be applicable in respect of (i) those employees who already have more than two children prior to the coming into force of this restriction, i.e., 20.10.1997 (ii) children born within one year of the coming into force of this restriction; (iii) where the number of children exceeds two as a result of second child birth resulting in multiple births.
- 2. Not more than one wife is included in the term "Family" for the purpose of these rules. However, if a employee has two legally wedded wives and the second marriage is with the specific permission of the DOEACC, the second wife shall also be included in the definition of "Family".
- 3. Though it is not necessary for the spouse and children to reside with the employee so as to eligible for the Leave Travel Concession, the concession in their. Cases shall, however, be restricted to the actual distance traveled or the distance between the headquarters/place of posting of the employee and the home town/ place of visit, whichever is less.
- 4. Children of divorced, abandoned, separated from their husbands or widowed sisters are not included in the term "Family".
- 5. A member of the family whose income from all sources, including pension, temporary increase in pension but excluding dearness relief on pension or stipend, etc., does not exceed Rs. 3500 p.m. is deemed to be wholly dependent on the employee.

- (ख) वह विवाहित पुत्रियाँ, जो तलाकशुदा, परित्यागी अथवा अपने पतियों से अलग हो गई हैं तथा कर्मचारी के साथ निवासित व पूर्णतः निर्भर हैं।
- (ग) अभिभावक और / या सौतेली माँ कर्मचारी के साथ रहती हो और पूर्ण रूप से उस पर निर्भर हों।
- (घ) अविवाहित नाबालिंग भाईयों के साथ ही, अविवाहित, तलाकशुदा, परित्यागी, अपने पति से अलग अथवा विधवा बहनें जो कर्मचारी के साथ निवासित व चाहे, उसके अपने बच्चे जीवित नहीं हों या वे सब कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर हों।

व्याख्यान

- 1. प्रतिबंध की रियायत दो बच्चों या सौतेले बच्चों पर इस स्थिति में लागू नहीं होगी जब:--
 - (क) प्रतिबंध, 20.10.1997, के लागू होने से पूर्व जिन कर्मचारियों के पहले से ही दो से अधिक बच्चे हैं।
 - (ख) प्रतिबंध के लागू होने के एक वर्ष के भीतर बच्चों का जन्म हुआ।
 - (ग) दूसरे बच्चे के जन्म के दौरान जुड़वा बच्चों का जन्म होने के परिणामस्वरूप, बच्चों की संख्या में दो और बच्चों की वृद्धि हो जाए।
- 2. इन नियमों के प्रयोजन स्वरूप एक पत्नी से अधिक पत्नियाँ 'परिवार' में शामिल नहीं होंगी। फिर भी, यदि कर्मचारी की दो वैद्य विवाहित पत्नियाँ हैं और दूसरा विवाह डीओईएसीसी की विशेष अनुमित से हुआ हो, तो दूसरी पत्नी 'परिवार' में शामिल होगी।
- 3. यद्यपि, कर्मचारी के साथ पत्नी व बच्चे निवासित हों यह आवश्यक नहीं है कि वे छुट्टी यात्रा रियायत भत्तों के लिए हकदार हों, फिर भी, ऐसे मामलों में मुख्यालय/कर्मचारी की तैनाती का स्थान और गृह नगर/दौरे का स्थान तक वास्तविक की गई यात्रा की जो भी न्यूनतम दूरी हो, वह रियायत के लिए प्रतिबंधित होगी।
- 4. तलाकशुदा के बच्चे, परित्यक्त, अपने पतियों से अलग अथवा विधवा बहनें इत्यादि 'परिवार' में शामिल नहीं होती हैं।
- 5. वह परिवार के सदस्य जिनकी आय पेंशन, अस्थायी पेंशन में वृद्धि सहित समाप्त स्रोतों को जोड़कर लेकिन पेंशन वृत्ति या वज़ीफ़ा इत्यादि में महंगाई राहत को छोड़कर मासिक आय रु. 3500 से अधिक न हो, वह कर्मचारी पर पूर्णतः निर्भर होने पर मान्य होगा।